Web Copy not official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :— रामसुख गुर्जर आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 195/2008 (2008/00069)

वादीगण

1. मोहरी देवी बेवा पदमाराम जाट
2. गोविन्दराम पुत्र पदमाराम जाट
3. टोडाराम पुत्र पदमाराम जाट
4. नेमाराम पुत्र पदमाराम जाट

निवासीयान ग्राम देउसर तहसील कुचामन सिटी जिला नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. भागूराम पुत्र उदाराम जाट
2. धुंकलाराम पुत्र उदाराम जाट
3. लादी देवी बेवा उदाराम जाट

   3/1 नन्दू देवी पुत्री उदाराम जाट
4. तुलछाराम पुत्र पदमाराम जाट

   निवासीयान ग्राम देउसर तहसील कुचामन सिटी जिला नागौर।
5. राजस्थान सरकार जरीये प्रतिनिधि तहसीलदार, कुचामनसिटी

दावाः— इस्तकरार हक व भू—विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत अन्तर्गत धारा 88,53, 92 ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित — 1. श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता वादीगण की ओर से ।

निर्णय

दिनॉक :— 28/02/2018

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 ता 4 स्व0 पेमाराम के वंशज वारिसान है। सजरा खानदान इस प्रकार है।

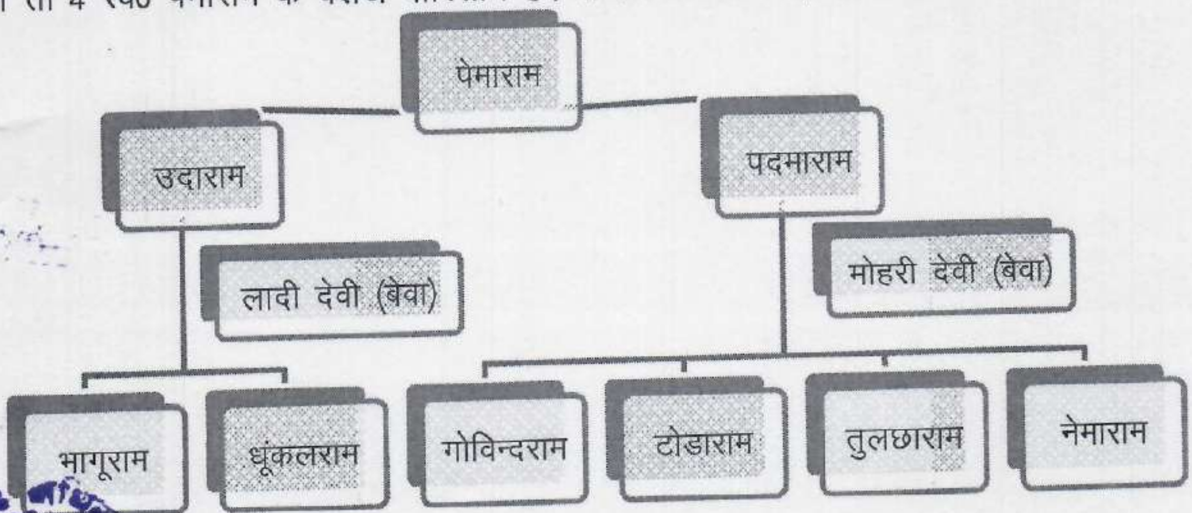

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

ग्राम पांचवा तहसील कुचामनसिटी कि सरहद में कृषि भूमि खसरा 616 रकबा 348 बीघा 17 बीस्वा स्थित रही है।

उपर्युक्त खसरा में करीब 16 बीघा भूमि पर वक्त जागीर से यानि राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 के लागू होने के वक्त से पूर्व स्व0 पेमाराम जी तत्कालिन जागीरदार से हासल पर कास्त करने हेतु ली थी। तब से उक्त 16 बीघा भूमि पर आजीवन बहैसियत जायज कृषक काबिज रहे। उक्त भूमि ठीकाना पांचवा के जागीरदार की जागीर की भूमि थी।

जागीर के वक्त ठीकाना के कामदान द्वारा कास्त हेतु बताई थी जागीर जबती के बाद उक्त सम्पूर्ण भूमि खसरा की भूमि को गत भू प्रबन्ध अधिकारियों द्वारा सरकारी खाता में गै0मु0 खारडा अंकित कर दिया गया। उक्त गलती से पेमारामजी के भौतिक कब्जा कास्त की उक्त भूमि स्व0 पेमारामजी के नाम दर्ज नहीं हो पाई लेकिन मौके पर वे आजीवन निरन्तर अबाध रूप से काबिज रहे तथा उक्त 16 बीघा भूमि का उपयोग उपभोग पाते रहे तथा करीब 40 वर्ष पूर्व उनका स्वर्गवास हो जाने के बाद उक्त भूमि पर उदाराम, पदमाराम बहैसियत पुत्र वारिसान संयुक्त परिवार के रूप में काबिज हुए।

पेमारामजी के स्वर्गवासोपरान्त कर्ताखानदान उनका पुत्र उदाराम ही रहा था ताा तमाम सरकारी गैर सरकारी सामाजिक कार्य में वही काम करते रहे लेकिन कास्त इत्यादि का काम पदमाराम ही करते रहे। दोनो भाईयों ने उक्त भूमि के चारों तरफ बाड डोल इत्यादि करके खाद उर्वरक इत्यादि डालकर भूमि को उपजाड बनाया ताा उक्त भूमि का एक चक व जाव बनाया तथा गांव में अपनी अन्य भूमि में निर्मित कुएं से सिचिंत किया गया है।

उपर्युक्त 16 बीघा व अन्य कृषि भूमियों जो उदारामजी, पदमारामजी की संयुक्त व पैतृक अधिकारों की रही के बाबत दोनों भाईयों ने अपनी आपसी सुविधा के हिसाब से व कृषि कार्य की मेहनत के हिसाब से पारिवारिक बंटवारा करीब 25–26 वर्षों पूर्व करके अलग अलग कास्त करने लग गए। खारडा वाली भूमि उपर्युक्त 16 बीघा में पारिवारिक बंटवारा स्वरूप उत्तरी तरफ की करीब 6 बीघा भूमि उदारामजी ने अपने बंट व कब्जा में रखी गई तब से वे मौके पर अलग अलग कास्त करने लग गए तथा अपने अपने बंट की भूमि के चारों तरफ बाड – डोल खंदक इत्यादि कायम कर ली थी तथा उदारामजी का स्वर्गवास सन 1995 में हो जाने के बाद उनकी 6 बीघा भूमि पर उनके वारिसान प्रतिवादी 1,2,3 काबिज हुए तथा सन 2004 में पदमाराम का स्वर्गवास हो जाने के बाद उनके वारिवान वादीगण एंव प्रतिवादी सं 4 बहैसियत पत्नी/पुत्र काबिज हुए पदमारामजी के स्वर्गवासोपरान्त वादीगण व प्रतिवादीगण ने अपने बंट की बीच की सीमा पर पुख्ता तारबंदी कर ली है तथा उदाराम जी के वारिसान अपने बंट की उत्तरी सीमा पर खाई व कुछ दूरी पर तारबंदी करके अलग चक बना रख है तथा पदमारामजी के वारिसान के बंट की दक्षिणी सीमा पर पुराने समय से कायम बाड डोल विधमान है जिस पर सैकड़ों की तादाद में पेड लगाये हुए है तथा दोनो बंट के पूर्वी सीमा पर खाई/मिटटी की डोल पुरानी कायम है तथा पश्चिमी तरफ मिटटी की डोल व तारबंदी की हुई है दोनों सीमाओं पर काफी तादाद में पेड़ लगाए हुए विधमान है।

पेमाराजी के कब्जा की उपर्युक्त 16 बीघा के हद–हदूद निम्न प्रकार रहे है।

पूर्व में – आम रास्ता जावों में जाने का।
पश्चिम में – मोहनराम, मगनाराम वगैरह कड़वा जाटों का जाब
उत्तर में – मानारामजी सेवर जाट की जमीन जो अब उनके वारिसान की है।
दक्षिण में – गोमाराम रणवा की भूमि जो अब पेमाराम, भींवाराम सेवदा के कब्जा की भूमि व कुछ दूरी तक सरकारी भूमि।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपर्युक्त 16 बीघा के वर्तमान नवीन भू प्रबन्ध में नवीन खसरा नम्बर 99 रकबा 1.62 है0, 324/99 रकबा 0.23 है0, खसरा नम्बर 96 रकबा 3.36 है0 में से उत्तरी तरफ की 0.68 है0 कायम हुए है। नवीन खसराबार वादीगण व प्रतिवादीगण का निम्न माफिक कब्जा कास्त व बंट मौके पर चला आ रहा है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

खसरा नं0	रकबा	हक व हिस्सा
99	1.62 है0	0.81 है0 उतरी प्रतिवादीगण 1,2,3 के है। 0.81 है0 दक्षिणी वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं 4 के है।
324/99	0.23 है0	0.13 है0 उतरी प्रतिवादीगण 1,2,3 0.10 है0 दक्षिणी वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 4 के

96 के उत्तरी तरफ 0.68 है0 में सम्पूर्ण वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 4 के कब्जा मौके पर खसरा नम्बर 99 में 0.81 है0 खसरा नम्बर 324/99 में 0.10 है0, खसरा नम्बर 96 में 0.68 है0 जुमने 1.59 है0 भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 4 के भौतिक कब्जा कास्त व जाव में एक चक में अवस्थित है तथा खसरा नं0 99 में 0.81 है0 324/99 में 0.13 है0 जुमले 0.94 है0 भूमि प्रतिवादीगण 1,2,3 के कब्जा व जाब एक चक में अवस्थित है।

उपर्युक्त गत खसरा नम्बर 616 में उदारामजी , पदमारामजी के 16 बीघा के उत्तरी तरफ सेवर गौत्र के जाट मानाराम पुत्र बागाराम, बनाराम पुत्र गुमानामराम रंणवा व जैसाराम पुत्र गुमानाराम रणवा, गंगाराम पुत्र भींवाराम रंणवा, नूंदाराम पुत्र कालुराम जाट का जरिए नामान्तकरण संख्या 301 के 60 बीघा भूमि की खातेदारी संयुक्त रूप से दर्ज कर दी गई। काबिज उदाराम, पदमाराम की जो गौत्र से सेवर है के कब्जा में दक्षिणी तरफ की उपर्युक्त 16 बीघा भूमि रही है। संयुक्त खातेदारी में स्पष्ट हिस्सा या रकबा नहीं दर्शाया गया जबकि 30 बीघा में 16 बीघा उदाराम, पदमाराम तथा 14 बीघा जैसाराम, गंगाराम रंणवा के कब्जा कास्त में रही है जो उदाराम, पदमाराम के कब्जा से काफी दूर उत्तर दिशा में अवस्थित रही है।

उपर्युक्त 16 बीघा मौके पर एक चक व जाव में अवस्थित होने के बावजूद नवीन भू प्रबन्ध कार्यवाही में बिना किसी आधार के उदारामजी, पदमारामजी के कब्जा व अधिकार की भूमि 16 बीघा के बजाय 10 बीघा दर्ज कर दी तथा उदाराम, पदमाराम के कब्जा की उक्त भूमि मौके पर 2.53 है0 व भू प्रबन्ध कार्यवाही (सन 1986-1990) की अवधि से पूर्व से भौतिक कब्जा में रही है। नवीन भू प्रबन्ध में उदारामजी, पदमारामजी की उक्त 16 बीघा भूमि के बजाय 10 बीघा दर्ज करने का व बिना किसी अधिकार के गत खसरा नम्बर 616 में 60 बीघा जो उपर्युक्त विभिन्न व्यक्तियों के नाम संयुक्त खातेदारी में थी का मनमर्जी से खाता विभाजन कर खातेदारी अलग दर्ज कर दी और उदाराम, पदमाराम के कब्जा व अधिकारों की 16 बीघा में से दक्षिणी तरफ की 0.68 है0 भूमि नवीन खसरा नं0 96 में अंकित कर दी और पूर्वी तरफ की भूमि 0.23 है0 के अलग खसरा नम्बर 324/99 दर्शा दिया गया तथा सरकारी खाते में अंकित कर दी गई तथा किस्म भी बारानी प्रथम के बजाय गोचर अंकित कर दी जो कतई गलत व अवैध है। वादीगण एवं प्रतावादीगण की उपर्युक्त 16 बीघा भूमि कभी भी पड़त या गोचर नहीं रही है। मौके पर चाही भूमि बनी हुई है। भू प्रबन्ध अधिकारीयों द्वारा उक्त हेराफेरी पूर्व तरीसे से किए गए इन्द्राज बिना अधिकार क्षेत्र के होने से स्वतं नल व वोइड शुन्य है।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

नवीन भू प्रबन्ध अधिकारियों द्वारा की गई उक्त गलत व अवैध कार्यवाही से यानि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी कम दर्ज करने का उनके जायज अधिकारों पर कानूनन कोई विपरित असर नहीं पड़ सकता वादीगण अपनी कदीमी कब्जा कास्त की पुश्तैनी उक्त 16 बीघा भूमि की खातेदारी सही दर्ज कराने के हकदार है।

नवीन भू प्रबन्ध कार्यवाही के वक्त पांचवा की सरहद के गत खसरा नम्बर 616 में 210 बीघा गै0 मु0 खारडा दर्ज था जो सरकारी खाते में था तथा जिसको भू प्रबन्ध कार्यवाही में नवीन राजस्व ग्राम सरदारपुरा में बिना किसी आधार के सिवाय चक दर्शाते हुए किस्त गोचर दर्शाई गई। मौके पर सरदारपुरा के नवीन खसरा नम्बर 96 के रकबा मौके पर 15 बीघा यानि 2.68 है0 हो रहा है। खसरा नं0 96 की 2.45 है0 भूमि के उत्तरी तरफ 2.53 है0 भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 ता 4 के उपर वर्णित हक–हकूक व कब्जा में रही है। उक्त भूमि अब नवीन राजस्व ग्राम देउसर तहसील कुचामनसिटी की सरहद में अंकित हुई है।

वादीगण को अपनी उपर्युक्त भूमि की खातेदारी अलग अलग करवाने हेतु प्रतिवादीगण को कहा गया तो इतने दिन वे आश्वासन देते रहे तथा अब आनाकानी करने लगे है। वादीगण ने अपनी पैतृक कब्जाकाश्त की उपर्युक्त भूमि की मौके की नपती करने की स्थितिनुसार नपती करने हेतु हल्का पटवारी को कहा तो उसने इंकार कर दिया तथा कम रकबा खाते में दर्ज होने की व वादीगण के कब्जे की 4 ¼ करीब दक्षिणी तरफ की पूर्वी तरफ करीब पौने बीघा की जमीन को सरकारी खाते में दर्ज होना बताया तथा पटवारी हल्का ने वादीगण को उनकी पैतृक भूमि से प्रतिवादी सं0 5,6 के मार्फत बेदखल कराने व मौका स्थिति में परिवर्तन कराने व पुरानी सीवं मांठ डोल को नष्ट कराने की धमकी भी दे दी गई। अगर वे ऐसा करने में सफल हो गए तो वादीगण के जायज अधिकारों पर बेजा कुठाराघात होगा तथा वादीगण के साथ अन्यायपूर्ण कार्यवाही होगी तथा अपूर्तिनीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति रूपयों इत्यादि में कभी नहीं हो सकेगी। इसलिए यह वाद लाना आवश्यक हुआ है।

बिनायदावा अभी 4–5 महिनों से प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 खाता विभाजन से इंकार करने पर व अभी 20–25 रोज पूर्व पटवारी हल्का द्वारा रेकर्ड के अवैध अंकन के आधार पर उक्त धमकी देने पर बमुकाम देउसन, पांचवा तहसील कुचामनसिटी में पैदा हुआ।

वादीगण की इस्तदुआ है कि पांचवा के गत खसरा नम्बर 616 के भाग की जो नवीन ग्राम देउसर की सरहद में अंकित खसरा नम्बर 99 का रकबा 1.62 है0 के बजाय 2.53 है0 अंकित कराया जाने की डिक्री सादिर फरमाई जावे। तथा खसरा नम्बर 96 का रकबा 3.36 है0 के बजाय 2.68 है0 घोषित कराने व खसरा नम्बर 324/99 का नक्शा व खाते से हटाया जावे।

उपर्युक्त खसरा नम्बर 99 से बढा 2.53 है0 में उत्तरी तरफ की 0.94 है0 भूमि का प्रतिवादीगण सं0 1,2,3 को व दक्षिणी तरफ की 1.59 है0 भूमि में वादीगण सं0 1 ता 4 प्रत्येक को 1/5 हिस्सा का व प्रतिवादी सं0 4 को 1/5 हिस्सा का काबिज खातेदार घोषित किया जाने की डिक्री सादिर फरमाई जावे।

उपर्युक्त 2.53 है0 में से 0.94 है0 प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 की व 1.59 है0 वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 4 की भूमि की सेपरेट होल्डिंग कायम करने की डिक्री सादिर फरमाई जावे तथा इसी माफिक लगान बढाकर लगान में बंटवारा किया जाने की आज्ञा प्रदान करावे तथा राजस्व अभिलेख में इसी अनुरूप अमलदरामद करने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को आदेश प्रदान करावें।

वादीगण व प्रतिवादीगण की उपर्युक्त 2.53 है0 भूमि में 1.59 है0 भूमि (खसरा नं0 99 रकबा 0.81 है0, खसरा नं0 324/99 में 0.10 है0, खसरा नं0 96 में 0.68 है0) भूमि में वादीगण

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

एवं प्रतिवादी सं0 4 के तथा 0.94 है0 (खसरा नं0 99 में 0.81 है0, खसरा नं0 324/99 में 0.13 है0) भूमि में प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 के कब्जाकाश्त व अधिकारों में प्रतिवादीगण सं0 5,6 न तो स्वंय किसी प्रकार का दखल डाले तथा नहीं अपने ऐजेन्टों से डलवाए तथा नहीं बेदखल करे, तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण की उपर्युक्त भूमि की दक्षिणी व पूर्वी सीमा नष्ट नहीं करे, इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री सादिर फरमाई जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की सुनवाई हेतु तलबी जारी की गई। दिनांक 19.10.2006 को प्रतिवादी संख्या 1,4,5,6 के खिलाफ इकतरफा की हुई है। दिनांक 18.01.2007 को प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के खिलाफ इकतरफा की हुई है। दिनांक 24.09.2007 को प्रतिवादी संख्या 5 राज्य सरकार जरीये प्रतिनिधि तहसीलदार नावां की ओर से जबाब करने पर शामिल मिसल है तत्पश्चात सहायक कलेक्टर कार्यालय कुचामनसिटी में खुलने से पत्रावली दिनांक 18.08.2008 को पेश हुई जो दर्ज रजिस्टर की गई। दिनांक 17.11.2015 को वकील प्रार्थी द्वारा ओर्डर 22 रूल 4 सीपीसी की प्रतिवादी संख्या 3 के कायम मुकाम पेश करने पर शामिल मिसल है। प्रतिवादी संख्या 3/1 नन्दु देवी की तलबी जारी की गई। दिनांक 21.11.2017 को वकील वादी ने ओर्डर 6 रूल 17 सीपीसी की प्रार्थना पत्र पेश की जो दिनांक 30.11.2017 को स्वीकार कर दावे में पेरा संख्या 12, 17 में रकबा 2.45 है0 के बजाय 2.68 है0 शुद्व किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 के कायम मुकाम की ओर से वकील श्री बोदूराम ने वकालतनामा पेश किया, शामिल मिसल है। दिनांक 12.12.2017 को प्रतिवादी संख्या 3 के वारिसान की ओर से इकबाली जबाब पेश किया, शामिल मिसल है। दिनांक 19.02.2018 को तनकी कायम कर शामिल मिसल की गई। सरकारी पैरोकार गैर हाजीर, वकील वादी ने गवाह पेश किये, शामिल मिसल किये गये ओर गवाह पेश नहीं करने पर गवाह वादी बंद की गई। दिनांक 26.02.2018 को वकील वादी ने लिखित बहस पेश की, शामिल मिसल है। वादी का वाद पत्र संलग्न दस्तावेजात खतौनी सम्वत 2014–17, सम्वत 2061–64 व सम्वत 2010–13, गिरदावरी सम्वत 2033–36 व सम्वत 2030–45 एवं मिलान खसरा, तहसीलदार नावां का जबाब, प्रतिवादी संख्या 3 के कायम मुकाम का इकबाली जबाब, माननीय राजस्व मण्डल अजमेर का निर्णय दिनांक 11.07.2017, संरपंच प्रेमपुरा का अनात्ति प्रमाण पत्र एवं अस्थाई स्थगन आदेश दिनांक 26.10.2007, खसरा मिलान, वादी एवं गवाह गोविन्द राम, टोडाराम, भागूराम, रामेश्वर लाल, मूलाराम, सोहनलाल, गोरधन राम का शपथ आदि का अवलोकन एवं वकील वादी की लिखित बहस मय रूलिंग्स जिसमें वकील वादी की लिखित बहस में बताया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभावी होने से पहले पुराने गत खसरा नम्बर 616 रकबा 348 बीघा 17 बीस्वा भूमि जसवन्त सिह पुत्र बागसिह जागीरदार ठिकाणा पांचवा की कृषि भूमि रही है।

उपयुक्त खसरा नम्बर मे करीब 16 बीघा भूमि वक्त जागीर से यानि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागू होने के वक्त से पूर्व स्वर्गीय पेमाराम ने तत्कालीन जागीरदार से हासल पर काश्त करने हेतू ली थी। उक्त 16 बीघा भूमि पर आजीवन बहेसियत जायज कृषक काबिज रहे।

दिनांक 15–11–1959 को जागीर रिज्युम हुई तब भी उक्त भूमि जागीरदार एवं वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वजो की खातेदारी मे राजस्व रिकार्ड मे दर्ज रही है।

जागीर जब्ती के बाद गत खसरा नम्बर 616 रकबा 348 बीघा 17 बिस्वा सम्पूर्ण खसरा नम्बर की भूमि को गत भू प्रबंध अधिकारियो द्वारा सरकारी खाते मे गैर मु0 खारडा अंकित कर दिया। उक्त गलती से पेमाराम जी के भौतिक कब्जा काश्त की 16 बीघा भूमि स्व0 पेमाराम जी

कुचाम. सिटी (नागौर)

के नाम दर्ज नही हो पाई लेकिन मौके पर वे आजीवन निरन्तर आबाद रूप से काबिज रहे। उक्त भूमि का उपयोग उपभोग करते रहे थे।

उपर्युक्त भूमि की खसरा गिरदावरी रिकार्ड मे पेमा पुत्र बागा के नाम 16 बीघा भूमि का अंकन रहा है। संवत 2014 से 2017 की ग्राम पांचवा की खसरा गिरदावरी रिकार्ड मे पुराने गत खसरा नम्बर 616 मे 16 बीघा भूमि पेमा पुत्र बागा के नाम से रिकार्ड मे भौतिक कब्जा काश्त की फसल दर्ज रही है। पेमाराम जी का स्वर्गवास हो जाने के बाद उक्त भूमि पर उदाराम,पदमाराम बहेसियत पुत्र वारिशान सयुक्त परिवार के रूप मे काबिज हुये।

गत खसरा नम्बर 616 मे सवत 2033 से 2036 मे 30 बीघा भूमि की खातेदारी नामान्तकरण संख्या 301 दिनाक 16–02–1975 के द्वारा जैसा पुत्र गुमाना, उदा पुत्र पेमा, गंगा पुत्र भीवा जाट के नाम से दर्ज की गई। पश्चातवर्ती जमाबंदी खतौनी 2042 से 2045 तक कायम रही है। उपर्युक्त 30 बीघा भूमि मे से उदाराम पदमाराम पुत्र पेमाराम की 16 बीघा भूमि वर्तमान भू प्रबंध मे नवीन खसरा नम्बर 99 रकबा 1.62 हैक्टर,खसरा नम्बर 324/99 रकबा 0. 23 हैक्टर, खसरा नम्बर 96 रकबा3.36 हैक्टर मे से उत्तरी तरफ 0.68 हैक्टर पर कायम हुई। नवीन खसरावार वादीगण एवं प्रतिवादीगण का निम्नमाफिक कब्जाकाश्त व बंट मौके पर चला आ रहा है। खसरा नम्बर 99 रकबा 1.62 हैक्टर मे से 0.81 हैक्टर उत्तरी प्रतिवादीगण 01, 02, 03 है तथा 0.81 हैक्टर दक्षिणी वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 04 है। खसरा नम्बर 324/99 रकबा 0.23 हैक्टर मे से 0.13 हैक्टर उत्तरी प्रतिवादीगण 01, 02, 03 तथा 0.10 हैक्टर दक्षिणी वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 04 की है। खसरा नम्बर 96 मे उत्तरी तरफ 0.68 हैक्टर मे सम्पूर्ण वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 04 के कब्जाकाश्त भूमि है। उक्त भूमि वर्तमान मे सरदारपुरा के नवीन राजस्व ग्राम देउसर पटवारी हल्का पांचवा की सरहद मे स्थित है। मौके पर खसरा नम्बर 99 मे रकबा 0.81 हैक्टर,खसरा नम्बर 324/99 मे रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 96 मे रकबा 0.68 हैक्टर जुमले 1.59 हैक्टर भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 04 के भौतिक कब्जाकाश्त व जाव मे एक चक मे अवस्थित है। तथा खसरा नम्बर 99 मे रकबा 0.81 हैक्टर, खसरा नम्बर 324/99 मे रकबा 0.13 हैक्टर जुमले 0.94 हैक्टर भूमि प्रतिवादीगण संख्या 01, 02, 03 के कब्जाकाश्त मे एक चक जाव मे अवस्थित है।

नकल जमाबन्दी संवत 2010 से 2013 मे ग्राम पांचवा के गत खसर नम्बर 616 रकबा 348 बीघा 17 बिस्वा (56.36 हैक्टर) भूमि जसवंत सिह पिता बाघसिंह जागीरदार की स्थित रही है। जिसकी खसरा गिरदावरी रिपोर्ट मे पेमा पुत्र बागा के कब्जा काश्त मे 16 बीघा भूमि का अंकन रहा है। सवत 2014 से 2017 की खसरा गिरदावरी रिकार्ड मे पुराने गत खसरा नम्बर 616 मे पेमाराम पिता बागाराम के कब्जा काश्त मे 16 बीघा भूमि रिकार्ड मे दर्ज है। संवत 2030 से 2033 के चौसाला खतौनी मे गत खसरा नम्बर 616 रकबा 348 बीघा 17 बिस्वा के दो भाग कर 277 बीघा भूमि मे राजकीय भूमि का अंकन है एवं 71 बीघा 12 बिस्वा भूमि मे राजस्थान सरकार ग्राम पंचायत पांचवा का चारागाह का अंकन है। सवंत 2033 से 2036 के चौसाला मे गत खसरा नम्बर 616 मे 277 बीघा भूमि मलकियत सरकार की भूमियो जो कृषि के लिये उपलब्ध है का अंकन किया गया है। एवं संवत 2033 से 2036 मे 277 बीघा भूमि मे से 30 बीघा भूमि की खातेदारी नामान्तकरण संख्या 301 दिनाक 16–02–1975 के द्वारा जैसा पुत्र गुमाना, उदा पुत्र पेमा, गंगा पुत्र भीवा जाट के नाम दर्ज की गई। व 30 बीघा भूमि हनुमान पिता हेमा जाट, चन्द्रा, लादू, रतना पिता कालू, माना पिता बागा, बन्ना पुत्र गुमाना की 60 बीघा भूमि की सयुक्त खातेदारी दर्ज की गई। तथा 7 बीघा रामूराम पुत्र मोतीराम जाट की खातेदारी दर्ज होने के बाद सवत 2033 से 2036 के चौसाला खतौनी मे शेष 210 बीघा कृषि

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

भूमि के लिये उपलब्ध अंकन रहा है। तत्पश्चात 2036 से 2045 तक 25 बीघा भूमि उमाराम पुत्र हेमाराम जाट, 20 बीघा शंकरलाल पुत्र हरिप्रसाद शर्मा, 10 बीघा भूमि गोमा पुत्र बन्ना जाट, 20 बीघा भूमि प्रभुराम पुत्र गणपतराम रेबारी, 15 बीघा भूमि बालू, हीरा पुत्र भोला बलाई, 25 बीघा भूमि गोपाल सिह पुत्र भंवर सिह राजपुत, 25 बीघा भूमि धारासिंह पुत्र रामेश्वरलाल जाट, 10 बीघा भूमि पूर्णाराम पुत्र रामुराम, गोपालराम पुत्र दीपाराम जाट के नाम खातेदारी दर्ज हुई अर्थात गत खसरा नम्बर 616 रकबा 348 बीघा 17 बिस्वा (56.36 हैक्टर) मे से संवत 2033 से 2045 तक कुल रकबा 217 बीघा (35.24 हैक्टर) भूमि की खातेदारी विभिन्न खातेदारो के नाम दर्ज थी परन्तु उपरोक्त भूमियॉ गत नक्शा ट्रेश मे तरमीम नही थी। तथा तत्पश्चात नावा तहसील मे नवीन भू प्रबंध कार्यवाही (1986 से 1990) के दौरान उक्त भूमि नवीन राजस्व ग्राम सरदारपुरा पटवारी हल्का पांचवा की मिशल बंदोबस्त सवत 2046 से 2065 मे दर्ज हुई जिसके वर्तमान नवीन खसरा नम्बर 99 रकबा 1.62 हैक्टर, खसरा नम्बर 100 रकबा 1.62 हैक्टर,खसरा नम्बर 101 रकबा 2.70 हैक्टर, खसरा नम्बर 102 रकबा 0.15 हैक्टर, खसरा नम्बर 103 रकबा 0.38 हैक्टर, खसरा नम्बर 104 रकबा 0.39 हैक्टर, खसरा नम्बर 105 रकबा 1.23 हैक्टर, खसरा नम्बर 106 रकबा 0.96हैक्टर, खसरा नम्बर 107 रकबा 0.66 हैक्टर, खसरा नम्बर 108 रकबा 3.99 हैक्टर, खसरा नम्बर 109 रकबा 0.06 हैक्टर,खसरा नम्बर 110 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 111 रकबा 3.56 हैक्टर, खसरा नम्बर 251 रकबा 2.43 हैक्टर, खसरा नम्बर 290/2 रकबा 1.13 हैक्टर, खसरा नम्बर 293/92 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 316/251 रकबा 1.27 हैक्टर, खसरा नम्बर 87 रकबा 3.24 हैक्टर,खसरा नम्बर 89 रकबा 3.63 हैक्टर,खसरा नम्बर 92 रकबा 1.46 हैक्टर, खसरा नम्बर 93 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 94 रकबा 1.57 हैक्टर, खसरा नम्बर 95 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 328/87 मे रकबा 0.42 हैक्टर, कुल खातेदारी खसरा 24 कुल रकबा 32.68 हैक्टर 201 बीघा भूमि की खातेदारी विभिन्न खातेदारो के नाम दर्ज हो पाई अर्थात नवीन सेटलमेंट से पहले 217 बीघा खातेदारान भूमि थी। सेंटलमेंट के बाद नवीन खसरा नम्बरो की कुल खातेदारान भूमि का रकबा 33.68 हैक्टर 201 बीघा ही दर्ज हो पाई शेष 16 बीघा भूमि सरकारी खाते मे गै0मु0 गोचर अंकित कर दी गई अर्थात नवीन भू प्रबंध कार्यवाही (1986 से 1990) के बाद नवीन राजस्व ग्राम सरदारपुरा पटवारी हल्का पांचवा की मिशल बन्दोबस्त संवत 2046 से 2065 मे गत खसरा नम्बर 616 के नवीन खसरा नम्बरो मे कुल 32.68 हैक्टर 201 बीघा खातेदारान भूमि दर्ज करके शेष 16 बीघा खातेदारी भूमि सरकारी खाते मे गौचर दर्ज कर दी गई। इस प्रकार नवीन भू प्रबंध कार्यवाही (1986 से 1990) के दौरान इस गलत अंकन से गत खसरा नम्बर 616 मे स्थित उदाराम,पदमाराम पिता पेमाराम की एकशक्ल जाव मे स्थित भौतिक कब्जा काश्त की 16 बीघा खातेदारी भूमि मे से 10 बीघा (1.62 हैक्टर)भूमि की खातेदारी नवीन खसरा नम्बर 99 मे उदाराम पदमाराम पुत्र पेमाराम के नाम दर्ज कर दी परन्तु शेष 6 बीघा भूमि नवीन खसरा नम्बर 96 मे उत्तरी तरफ 0.68 हैक्टर तथा नवीन खसरा नम्बर 324/99 रकबा 0.23 हैक्टर मे दर्ज कर दी गई। उक्त भूमि वर्तमान मे ग्राम सरदार पुरा के नवीन राजस्व ग्राम देउसर पटवारी हल्का पांचवा की सरहद मे अंकित हैं। इस गलत अंकन के कारण नवीन भू प्रबंध कार्यवाही के बाद खातेदारान भूमि का रकबा 16 बीघा कम अंकित हुआ है। अतः नवीन खसरा नम्बर का 96 का रकबा 0.68 हैक्टर कम किया जाने योग्य है। तथा नक्शा मे अंकित नवीन खसरा नम्बर 324/99 रकबा 0.23 हैक्टर अंकन को विलोपित कर उसका नक्शा दुरस्त कर सुधार किया जाने योग्य है। वास्तविकता यह है कि खसर नम्बर 96 मे से रकबा 0.68 हैक्टर व खसरा नम्बर 324/99 रकबा 0.23 हैक्टर खातेदारी भूमि गलत रूप से राजस्व रिकार्ड मे गौचर भूमि दर्ज कर दी गई। तथा गै0मु0 गौचर

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

का रकबा 16 बीघा बढाकार अंकित किया गया है। तथा गत खसरा नम्बर 616 मे आवंटित भूमियो का नक्शे मे तरमीमी नम्बर अंकित नही किये गये थे।

नकल जमाबन्दी संवत 2010 से 2013 मे ग्राम पांचवा के गत खसरा नम्बर 616 रकबा 348 बीघा 17 बिस्वा (56.36 हैक्टर) भूमि जसवंत सिंह पुत्र बाघसिंह जागीरदार की स्थित रही है। नकल जमाबन्दी सवत 2030 से 2033 मे गत खसरा नम्बर 616 रकबा 348 बीघा 17 बिस्वा मे से 71 बीघा 12 बिस्वा (11.51 हैक्टर) भूमि नामान्तकरण संख्या 96 दिनांक 10–01–1971 जरिये तहसीलदार नावां राजस्थान सरकार ग्राम पंचायत पांचवा चारागाह गौचर भूमि स्वीकृत हुई। उक्त भूमि 2045 तक ग्राम पांचवा की सरहद मे अंकित रही तत्पश्चात नावा तहसील मे नवीन भू प्रबंध कार्यवाही सम्पन्न होने से खसरा नम्बर 616 की 71 बीघा 12 बिस्वा (11.51 हैक्टर) भूमि के नवीन खसरा नम्बर 86 रकबा 0.76 हैक्टर मे से 0.38 हैक्टर गे0मु0 गौचर, खसरा नम्बर 88 रकबा 0.25 हैक्टर गे0मु0 गौचर,खसरा नम्बर 91 रकबा 1.90 हैक्टर गे0मु0 गौचर,खसरा नम्बर 96 रकबा 3.36 हैक्टर गे0मु0 गौचर, खसरा नम्बर 112 रकबा 0.22 हैक्टर मे से 0.11 हैक्टर गे0मु0 गौचर, खसरा नम्बर 246 रकबा 0.11 हैक्टर गे0मु0 गौचर, खसरा नम्बर 252 रकबा 0.61 हैक्टर गे0मु0 गौचर, खसरा नम्बर 253 रकबा 0.03 हैक्टर गे0मु0 गौचर,खसरा नम्बर 254 रकबा 0.20 हैक्टर गे0मु0 गौचर, खसरा नम्बर 297/111 रकबा 5.94 हैक्टर गे0मु0 गौचर, खसरा नम्बर 303/84 रकबा 0.75 हैक्टर गे0मु0 गौचर, खसरा नम्बर 312/251 रकबा 0.01 हैक्टर गे0मु0 गौचर, खसरा नम्बर 315/109 रकबा 0.24 हैक्टर गे0मु0 गौचर, खसरा नम्बर 318/111 रकबा 1.04 हैक्टर मे से 0.64 हैक्टर गे0मु0 गौचर, खसरा नम्बर 319/94 रकबा 0.53 हैक्टर गे0मु0 गौचर, खसरा नम्बर 320/104 रकबा 0.14 हैक्टर गे0मु0 गौचर, खसरा नम्बर 321/102 रकबा 0.18 हैक्टर गे0मु0 गौचर,खसरा नम्बर 322/101 रकबा 0.20 हैक्टर गे0मु0 गौचर, खसरा नम्बर 323/100 रकबा 0.18 हैक्टर गे0मु0 गौचर, खसरा नम्बर 324/99 रकबा 0.23 हैक्टर गे0मु0 गौचर, खसरा नम्बर 225/92 रकबा 0.32 हैक्टर गे0मु0 गौचर, खसरा नम्बर 326/103 रकबा 0.25 हैक्टर गे0मु0 गौचर, खसरा नम्बर 327/251 रकबा 2.98 हैक्टर गे0मु0 गौचर, खसरा नम्बर 329/89 रकबा 0.97 हैक्टर गे0मु0 गौचर, खसरा नम्बर 330/87 रकबा 0.09 हैक्टर गे0मु0 गौचर कुल खसरा 25 कुल रकबा 20. 60 हैक्टर का गे0मु0 गौचर नवीन राजस्व ग्राम सरदारपुरा पटवारी हल्का पांचवा मे अंकित हुई। बिना किसी आधार व अधिकार के अवैध तरिके से नवीन भू प्रबंध कार्यवाही (1986 से 1990) के दौरान ग्राम सरदारपुरा पटवारी हल्का पांचवा की मिशल बंदोबस्त संवत 2046–65 मे गत खसरा नम्बर 616 मे 71 बीघा 12 बिस्वा (11.51 हैक्टर) भूमि गे0मु0 गौचर के नवीन खसरा नम्बरो का कुल रकबा 71 बीघा 12 बिस्वा(11.51 हैक्टर) के बजाय 56 बीघा(9.09 हैक्टर) रकबा बढा कर 127 बीघा (20.60 हैक्टर) गे0मु0 गौचर दर्ज कर दिया गया। बिना किसी आधार व अधिकार के अवैध तरिके से इस प्रकार से नवीन भू प्रबंध कार्यवाही के दौरान इस गलत अंकन से गत खसरा नम्बर 616 मे स्थित उदाराम पदमाराम पुत्र पेमाराम की 16 बीघा भूमि मे से 10 बीघा (1.62 हैक्टर) भूमि की खातेदारी नवीन खसरा नम्बर 99 मे उदाराम, पदमाराम पिता पेमाराम के दर्ज हो गई परन्तु शेष 6 बीघा भूमि पडौसी नवीन खसरा नम्बर 96 मे उत्तरी तरफ 0.68 हैक्टर तथा नवीन खसरा नम्बर 324/99 रकबा 0.23 हैक्टर मे दर्ज हो गई। उक्त भूमि वर्तमान मे ग्राम सरदारपुरा के नवीन राजस्व ग्राम देउसर पटवारी हल्का पांचवा मे अंकित है। एवं गत खसरा नम्बर 616 मे गे0मु0गौचर भूमि के तरमीमी नम्बर अंकित नही किये थे।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपर्युक्त 16 बीघा भूमि मौके पर एक चक जाव मे अवस्थित होने के बावजूद नवीन भू प्रबंध कार्यवाही मे बिना किसी आधार व अधिकार के उदाराम, पदमाराम जी के कब्जाकाश्त की भूमि 16 बीघा के बजाय 10 बीघा भूमि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कर दी। तथा शेष 6 बीघा भूमि सरकारी राजस्व रिकार्ड मे चारागाह दर्ज कर दी। तथा पदमाराम उदाराम की के कब्जाकाश्त की उक्त भूमि मौके पर 2.53 हैक्टर है। व भू प्रबंध विभाग कार्यवाही 1986–1990 की अवधि से पूर्व भौतिक कब्जाकाश्त मे रही है। नवीन भू प्रबंध मे उदाराम जी पदमाराम जी की उक्त 16 बीघा भूमि के बजाय 10 बीघा दर्ज करने का व बिना किसी अधिकार के गत खसरा नम्बर 616 मे 60 बीघा भूमि को उपर्युक्त विभिन्न व्यक्तियो के नाम सयुक्त खातेदारी भूमि का मनमर्जी से खाता विभाजन कर राजस्व रिकार्ड मे खातेदारी अलग अलग दर्ज की दी। और उदाराम, पदमाराम जी के कब्जाकाश्त व अधिकार की 16 बीघा भूमि मे से दक्षिणी तरफ 0.68 हैक्टर भूमि नवीन खसरा नम्बर 96 मे अंकित कर दी। और पूर्वी तरफ की भूमि 0.23 हैक्टर के अलग खसरा नम्बर 324/99 दर्शा दिया गया। तथा सरकारी खाते मे दर्ज कर दी गई। तथा किश्म भी बारानी प्रथम के बजाय गौचर अंकित कर दी। जो कतई गलत एवं अवैध है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण की उपर्युक्त 16 बीघा भूमि कभी भी पडत, खारडा या गौचर नही रही है। मौके पर चाही भूमि बनी हुई है। भू प्रबंध अधिकारियो द्वारा उक्त हेराफेरी पूर्व तरिके से किये गये इन्द्राज बिना अधिकार क्षैत्र के होने से स्वतः ही नल एवं वोइड शुन्य हैं।

गत खसरा नम्बर 616 रकबा 348 बीघा 17 बिस्वा अर्थात 56.36 हैक्टर की भूमि सवंत 2010 से 2045 तक ग्राम पाचंवा की सरहद मे अंकित रही। तथा तत्पश्चात नावा तहसील मे नवीन भू प्रबंध कार्यवाही (1986–1990) सम्पन्न होने से गत खसरा नम्बर 616 के नवीन कुल 53 खसरा नम्बरान नवीन राजस्व ग्राम सरदारपुरा मे अंकित हुये। नवीन खसरा नम्बरो का कुल रकबा 56.66 हैक्टर दर्ज कर दिया अर्थात गत खसरा मिलान क्षैत्रफल एवं नवीन वर्तमान खसरा मिलान क्षैत्रफल मे अन्तर आया है। नवीन भू प्रबंध अधिकारियो द्वारा की गई उक्त गलत एवं अवैध कार्यवाही से नवीन खसरा नम्बर 99 का रकबा 2.53 हैक्टर के बजाय 1.62 हैक्टर दर्ज हो गया तथा दक्षिणी तरफ पडौसी खसरा नम्बर 96 का रकबा 2.68 हैक्टर के बजाय 3.36 हैक्टर दर्ज हो गया एवं खसरा नम्बर 99 के पूर्वी तरफ पडौसी रकबा 0.23 हैक्टर भूमि के अलग खसरा नम्बर 324/99 दर्ज कर सरकारी खाते मे गे0मु0 गौचर अंकित कर दी जो कतई गलत एवं अवैध है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 ता 4 की उपर्यक्त 16 बीघा भूमि एकशक्ल जाव मे स्थित है। कभी भी पडत या गौचर नही रही है। मौके पर चाही भूमि बनी हुई है। उक्त भूमि वर्तमान मे ग्राम सरदारपुरा के नवीन राजस्व ग्राम देउसर की सरहद मे अंकित है। नवीन भू प्रबंध अधिकारियो द्वारा उक्त हेरा फेरी पूर्व तरीके से किये गये इन्द्राज बिना अधिकार क्षैत्र के होने से स्वतः ही नल एवं वोइड शुन्य हैं वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 ता 4 की खातेदारी 6 बीघा भूमि कम दर्ज करने का उनके जायज अधिकारो पर कानूनी कोई विपरित असर नही पड सकता है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 ता 4 अपनी कदीमी कब्जाकाश्त की पुश्तैनी भूमि रकबा 16 बीघा की खातेदारी सही दर्ज करवाने के अधिकारी है।

जमाबन्दी संवत 2042 से 2045 मे ग्राम पांचवा की सरहद मे स्थित मे गत खसरा नम्बर 616 मे स्थित नवीन खसरा नम्बर 324/99 रकबा 0.23 हैक्टर व खसरा नम्बर 96 मे 0.68 हैक्टर भूमि को नवीन भू प्रबंध कार्यवाही (1986–1990) के दौरान बिना किसी अधिकार व आधार के अवैध तरिके से गे0मु0 चारागाह घोषित किया गया। भू राजस्व अधिनियम धारा 92 के तहत एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 5/28 के तहत बने राजस्थान टिनेन्सी

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

सरकारी नियम 1955 के नियम 3 लगायत 7 के अनुसार उपर्युक्त भूमि को गे0मु0 चारागाह घोषित नही किया गया था। पूर्व राजस्व रिकार्ड के इन्द्राज को भू बन्दोबस्त अधिकारियो को बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश तब्दील करने का अधिकार नही था।

उपर्युक्त खसरे की जमाबंदी संवत 2042–2045 मे भूमि रकबा 85 बीघा राजकीय भूमि जो कृषि के उपलब्ध है का अंकन रहा है। भू प्रबंध कार्यवाही के बाद उक्त 85 बीघा भूमि मे से 20 बीघा भूमि के नवीन रास्ते कायम किये गये जो नवीन भू प्रबंध कार्यवाही से पहले उपर्युक्त भूमि मे रास्ते कायम नही थे। अर्थात रास्ते कायम करने के बाद 65 बीघा भूमि शेष राजकीय भूमि जो कृषि के उलब्ध थी। उक्त 65 बीघा शेष भूमि को गे0 मु0 चारागाह अंकन करना था परन्तु नवीन भू प्रबंध कार्यवाही मे 65 बीघा के स्थान पर 71 बीघा भूमि को चारागाह अंकन किया गया जो 6 बीघा भूमि का गलत चारागाह अंकन किया गया। जो 6 बीघा भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पुश्तैनी खातेदारी भूमि गे0मु0 चारागाह मे दर्ज हो गई। अर्थात नवीन भू प्रबंध कार्यवाही से पहले 71 बीघा 12 बिस्वा गे0 मु0 चारागाह का अंकन रहा था जो नवीन भू प्रबंध कार्यवाही के बाद 71 बीघा 12 बिस्वा व 65 बीघा कुल रकबा 137 बीघा करीबन के स्थान पर 143 बीघा भूमि गे0मु0 चारागाह का अंकन कर दिया गया है। 06 बीघा खातेदारी भूमि को गे0 मु0 चारागाह अवैध व गलत तरिके से अंकन कर दिया एवं सम्पूर्ण भूमि ग्राम पाचंवा के नवीन राजस्व ग्राम सरदारपुरा मे दर्ज हुई।

गत खसरा नम्बर 616 मे नक्शा ट्रेश का अवलोकन करने से वर्तमान एवं गत नक्शा ट्रेस मे अंतर आया है।

गत खसरा नम्बर 616 के नवीन खसरा नम्बरान मे गे0मु0 गौचर नक्शा ट्रेश मे छोटे छोटे खण्डो मे दर्शाई गई है। जो मौके की स्थिति के विपरित अंकन है।

गत खसरा नम्बर 616 रकबा 348 बीघा 17 बिस्वा के नवीन खसरा मिलान क्षैत्रफल मे नवीन खसरा नम्बर 304/83 रकबा 0.75 हैक्टर व नवीन खसरा नम्बर 290/2 रकबा 1.13 हैक्टर भूमि खसरा मिलान क्षैत्रफल मे अवश्य अंकित किया गया है। परन्तु नक्शा ट्रेस व जमाबंदियो मे इनका अंकन नही है।

उपर्युक्त भूमि के नवीन खसरा मिलान क्षैत्रफल मे नवीन खसरा नम्बर 328/87 रकबा 0.42 हैक्टर भूमि खसरा मिलान क्षैत्रफल मे अवश्य अंकित है। परन्तु मिसल बंदोबस्त 2046 से 2065 मे इसका इन्द्राज खातेदारी भूमियो, गे0मु0रास्तो, एवं गे0मु0 गौचर राजस्व रिकार्ड मे अंकन नही था।

गत खसरा नम्बर 616 के गत खसरा नम्बर 616/4 का रकबा 7 बीघा अंकित था जबकि नवीन भू प्रबंध कार्यवाही के बाद उक्त भूमि के नवीन खसरा नम्बर 290/251 रकबा 1.13 हैक्टर व खसरा नम्बर 316/251 रकबा 1.27 हैक्टर कुल रकबा 2.40 हैक्टर बढाकर अंकित है।

गत खसरा नम्बर 616 मे नवीन भू प्रंबध कार्यवाही से पहले गे0मु0 रास्ते अंकित नही थे, भू प्रंबध कार्यवाही के बाद भूमि रकबा 3.38 हैक्टर के गे0 मु0 रास्ते कायम कर राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया गया।

ग्राम पांचवा के गत खसरा नम्बर 616 रकबा 348 बीघा 17 बिस्वा भूमि मे सवंत 2010 से 2045 मे रिकार्ड मे रास्ते कायम नही थे।परन्तु नवीन भू प्रबंध की कार्यवाही के दौरान नवीन राजस्व ग्राम सरदारपुरा पटवारी हल्का पांचवा की मिशल बन्दोबस्त 2046–2065 मे गत खसरा नम्बर 616 मे से खसरा नम्बर 98 रकबा 0.15 हैक्टर गे0 मु0 रास्ता,खसरा नम्बर 113 रकबा 0.40 हैक्टर मे से 0.15 हैक्टर गे0 मु0 रास्ता,खसरा नम्बर 250 रकबा 4.60 हैक्टर मे से 2.55

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

हैक्टर गे0 मु0 रास्ता, खसरा नम्बर 90 रकबा 0.81 हैक्टर मे से 0.53 हैक्टर गे0 मु0 रास्ते दर्ज हुये। कुल खसरा नम्बर 04 समस्त रास्तो का कुल रकबा 3.38 हैक्टर भूमि गैर मुमकिन रास्ते मे अंकित हुई।

वादीगण के प्रार्थन्ना पत्र पर उपखण्ड अधिकारी नांवा ने दिनांक 09–10–2006 को भू निरीक्षक कुचामनसिटी को मौका कमिनश्नर नियुक्त कर मौका स्थिति की रिपोर्ट ली गई भू निरीक्षक कुचामनसिटी व पटवारी हल्का पांचवा ने मौका देखकर दिनांक 11–10–2006 को मौका रिपोर्ट पेश की गई मौका रिपोर्ट जवाब मे राजस्व ग्राम देउसर पटवारी हल्का पांचवा के खसरा नम्बर 99 रकबा 1.62 हैक्टर मे से दक्षिणी तरफ 0.81 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 96 रकबा 3.36 हैक्टर मे से उत्तरी तरफ 0.68 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 324/99 रकबा 0.23 हैक्टर मे से दक्षिणी तरफ 0.10 हैक्टर कुल रकबा 1.59 हैक्टर भूमि एक चक पुराना जाव बना हुआ है। जिसमे गोविन्दाराम, टोडाराम, तुलछाराम, नेमाराम पिता स्व0 पदमाराम, मोहरी देवी पत्नी स्व0 पदमाराम जाति जाट निवासी देउसर पटवारी हल्का पांचवा के कब्जा काश्त मे है। मौके पर मुंगफली, ग्वार बाजरा की फसल बोई हुइ है। मौके पर पास के स्वयं के कुए से सिंचाई का साधन है। मौके पर पूर्व दक्षिणी एवं पश्चिमी दिशाओ मे मिटटी का पुराना ढोल लगा हुआ है। उत्तरी तरफ पटिटया रोपकर पुरानी तारबंदी की हुई है। मिटटी की पुरानी डोल पर बबुल खेरी आदि के काफी बडे पेड लगे हुये है। मौके पर रकबा 1.59 हैक्टर भूमि का एक चक पुराना जाव बना हुआ है। मौका रिपोर्ट मे पूर्व मे आम रास्ता पश्चिम मोहनराम कडवा की भूमि एवं दक्षिण मे सरकारी भूमि उत्तर मे भागूराम धूकलराम पिता उदाराम व लादी बेवा उदाराम की भूमि है।

उपखण्ड अधिकारी ने नावा ने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अ0/से0 212 आर0 टी0 एक्ट मार्डर 39 रूल 1, 2 सी पी सी वाद संख्या 70/206 मे अपने निर्णय दिनांक 26–10–2007 मे यह स्वीकार किया की गत खसरा नम्बर 616 मे संवत 2045 अर्थात नवीन भू प्रबंध कार्यवाही 1986–1990 से पूर्व 16 बीघा भूमि पेमा पुत्र बागा के नाम से सहखातेदारी भूमि थी। संवत 2033–2036 की जमाबंदी मे खसरा नम्बर 616 मे रकबा 30 बीघा भूमि तहसीलदार नांवा के आदेश कमांक 395–396/दिनांक 03–12–1973 के अनुसार नामान्तकरण संख्या 301 दिनांक 25–04–1975 सरंपच ग्राम पंचायत पांचवा द्वारा खातेदारी दर्ज की गई। नवीन भू प्रबंध कार्यवाही के बाद नवीन खसरा नम्बर 99 मे 10 बीघा अर्थात 1.62 हैक्टर भूमि ही प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के नाम दर्ज । शेष 6 बीघा भूमि नवीन खसरा नम्बर 324/99 रकबा 0.23 हैक्टर गे0मु0गौचर मे से दक्षिणी तरफ भूमि रकबा 0.10 हैक्टर, तथा नवीन खसरा नम्बर 96 रकबा 3. 36 हैक्टर गे0मु0 गौचर मे से उत्तरी तरफ भूमि रकबा 0.68 हैक्टर भूमि सरकारी राजस्व रिकार्ड मे अंकन हो गइ। मौका कमिशनर की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 04 भूमि रकबा 1.59 हैक्टर भूमि एकचक पुराना जाव बना हुआ है। मौके पर पूर्व दक्षिणी एवं पश्चिमी दिशाओ मे मिटटी का पुराना ढोल लगा हुआ है। उत्तरी तरफ पटिटया रोपकर पुरानी तारबंदी की हुई है। मिटटी की पुरानी डोल पर बबुल खेरी आदि के काफी बडे पेड लगे हुये है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 04 की भूमि पर मौके पर फसल खडी है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी की भूमि की किश्म चाही है। तहसीलदार ने गत खसरा नम्बर 616 मे 217 मे विभिन्न खातेदारो के नाम से खातेदारी दर्ज होना स्वीकार किया है। परन्तु मौके पर तरमीमी नम्बर अंकित नही होना स्वीकार किया है। तथा नवीन भू प्रबंध से पूर्व गत खसरा नम्बर 616 मे 71 बीघ 12 बिस्वा गे0मु0 गौचर दर्ज थी। परन्तु गलती से नवीन भू प्रबंध कार्यवाही के दौरान गे0

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

मु0 गौचर का रकबा 127 बीघा दर्ज कर दिया। अर्थात गत सेटलमेंट एवं वर्तमान सेटलमेंट मे अंतर आया है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करके मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतू अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश ता फैसला वाद तक अप्रार्थीगण 1 ता 6 के विरूद्व जारी पाबंद किया गया है यह आदेश दिनांक 26-10-2017 को जारी करके मुल वाद के साथ नत्थी किया गया है।

प्रतिवादीगण संख्या 05 की ओर से तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे मे यह स्वीकार किया है कि ग्राम पांचवा की सरहद मे गत खसरा नम्बर 616 रकबा 348 बीघा 17 बिस्वा भूमि जसवन्त सिंह पुत्र श्री बाघसिंह जागीरदार की स्थित रही है। सवंत 2026 से 2029 के चौसाला मे राजकीय भूमि का अंकन है। सवंत 2030 से 2033 के चौसाला मे राजकीय भूमि 277 बीघा का अंकन है। तथा 71 बीघा 12 बिस्वा का चारगाह का अंकन है। जो नामान्तकरण संख्या 96 दिनांक 10-01-1971 के जरिये तहसीलदार नावां द्वारा स्वीकृत हुई। सवंत 2030 से 2045 के दौरान विभिन्न व्यक्तियो के नाम 217 बीघा खातेदारी भूमि दर्ज की गई व भूमि की किश्म बारानी द्वितीय का अंकन हुआ। तहसीलदार ने यह भी स्वीकार किया है कि गत खसरा नम्बर 616 मे उपर्युक्त खातेदारो के नाम का अंकन अवश्य किया गया लेकिन नक्शे मे कोई खातेदारान तरमीमी नम्बर अंकित नही हुये थे। नवीन भू प्रबंध कार्यवाही 1986-1990 के दौरान खातेदारान उक्त भूमि के नवीन खसरा नम्बर ग्राम पांचवा के, नवीन राजस्व ग्राम सरदारपुरा पटवारी हल्का पांचवा मे अंकित हुये। नामान्तकरण संख्या 301 दिनांक 25-04-1975 को सरपंच ग्राम पंचायत पांचवा द्वारा तहसीलदार साहब के आदेश संख्या 396 दिनांक 03-12-1973 के अनुसरण मे 30 बीघा भूमि की खातेदारी स्वीकृत कर जैसा पुत्र गुमाना, उदा पुत्र पेमा, गंगा पुत्रभीवा जाट साकिन देह खातेदार अंकित किया गया जो संवत 2045 तक कायम रहे। तहसीलदार द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है की उक्त नामान्तकरण एवं खतौनी इन्द्राज मे किसी व्यक्ति विशेष का हिस्सा अभिलिखित नही किया गया है। भू प्रबंध कार्यवाही मे गत खसरा नम्बर 616 के उपर्युक्त विवरण के अनुरूप बिना अधिकार क्षेत्र के तमाम खातेदारान की खातेदारी का अंकन अलग अलग किया गया है। इसी अधिकार विहिन त्रुटि से मौके के कब्जा काश्त की अनदेखी कर खातेदारान के जायज अधिकारो के विपरित अंकन किया गया हैं। जिसके कारण गत खसरा नम्बर 616 के ही नवीन खसरा नम्बर 96 का रकबा 3.36 हैक्टर,नवीन खसरा नम्बर 99 का रकबा 1.62 हैक्टर, नवीन खसरा नम्बर 324/99 का रकबा 0.23 हैक्टर, का अंकन किया गया है जो भौतिक कब्जा काश्त की जांच किये बगेर किया गया अकंन नही हैं। गत नक्शा ट्रेश मे तरमीम नही होने की स्थिति मे मौके पर काबिजकान काश्ताकारान की भूमि मे खसरानम्बर 96 मे मौके के रकबा के विपरित रकबा 3.36 हैक्टर है अर्थात तहसीलदार ने खसरा नम्बर 96 मे प्रार्थीगण की भूमि होना स्वीकार किया है। तहसीलदार ने यह भी स्वीकार किया है कि गत खसरा नम्बर 616 मे नवीन भू प्रबंध कार्यवाही के दौरान गत खसरा नम्बर 616 के नवीन खसरा नम्बरो मे गै0मु0 गोचर दर्ज हुई जो नक्शा ट्रेश के अवलोकन से गौचर छोटे छोटे खण्डो मे दर्शाई गई है जो मौके की स्थिति के भिन्न लगती प्रतित होती है। तहसीलदार ने अपने जवाब दावे मे यह भी उल्लेख किया है कि भू प्रबंध कार्यवाही 2046 से पूर्व गत खसरा नम्बर मे 85 बीघा भूमि का खाता राजकीय भूमि जो कृषि कार्य के उपलब्ध है का अंकन रहा है। भू प्रबंध कार्यवाही 2046 के बाद इसे राजकीय खाता चारागाह का अंकन किया गया हैं। इस हेतू अंकन विधि संवत आदेश रिकार्ड मे अंकित नही किया गया है। जो अधिकार क्षेत्र के बाहर अवैध अंकन करके कृषि भूमि से/ गै0मु0

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

चारागाह का गलत अंकन किया गया है। एवं गत खसरा नम्बर 616 के नवीन खसरा मिलान क्षैत्रफल मे नवीन खसरा नम्बर 304/83 रकबा 0.75 हैक्टर व नवीन खसरा नम्बर 290/2 रकबा 1.13 हैक्टर खसरा मिलान क्षैत्रफल मे अवश्य अंकित किया गया है परन्तु नक्शा व ट्रेस व जमाबन्दियो मे इनका अंकन नही है।

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने निगरानी/एल आर/ 4382/2008 नागौर गोविन्दराम बनाम सरकार मे प्रार्थीगण गोविन्द राम, तुलछाराम, नेमाराम पुत्रान पदमाराम, मु0 पतासी पत्नी टोडाराम समस्त जाति जाट निवासी ग्राम देउसर तहसील नावा जिला नागौर राज0 मे प्रार्थी ने यह निगरानी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 84 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11-01-2008 की विरूद्व प्रस्तुत की प्रकरण अन्तर्गत पटवारी हल्का पांचवा ने अतिरिक्त तहसीलदार कुचामन सिटी के समक्ष इस आशय की रिपोर्ट पेश की कि ग्राम देउसर मे स्थित आराजी खसरा नम्बर 324/99 रकबा 0.23 हैक्टर गे0मु0 गौचर मे से 0.10 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 96 मे रकबा 3. 36 हैक्टर गे0मु0 गौचर मे से 0.68 हैक्टर कुल रकबा 0.78 हैक्टर मे मुंगफली व बाजरा की फसल काश्तकर विपक्षी प्रार्थीगण ने नाजायज कब्जा कर अतिक्रमण कर लिया हैं। जिन्हे बेदखल किया जाये। उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज कर अतिरिक्त तहसीलदार ने अपने आदेश दिनाक 16-12-2006 से प्रार्थीगण को विवादग्रस्त भूमि से बेदखल किये जाने एवं शास्ती अधिरोपित किये जाने का आदेश पारित किया प्रार्थीगण ने इस निर्णय के विरूद्व अतिरिक्त जिला कलेक्ट्रर डीडवाना के न्यायालय मे अपील पेश की जिसे उन्होने अपने निर्णय दिनांक 27-10-2007 से खारिज कर दी। अतिरिक्त जिला कलेक्ट्रर द्वारा पारित निर्णय के विरूद्व प्रार्थीगण ने द्वितीय अपील राजस्व अपील अधिकारी नागौर के समक्ष पेश की जिसे उन्होने अपने निर्णय दिनांक 11-01-2008 से खारिज कर दी। इसी निर्णय से व्यथित होकर प्रार्थी ने यह निगराणी मण्डल मे प्रस्तुत की गई। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने दिनांक 11-07-2017 को प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरणी स्वीकार की जाकर अपने निर्णय दिनांक 11-07-2017 से प्रस्तुत प्रकरण मे प्रार्थीगण द्वारा उल्लेखित तथ्यो से यह स्वीकृत स्थिति है कि विवादित आराजी के साबिक खसरा नम्बर 616 जिसमे रकबा 16 बीघा भूमि के खातेदार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज थे। जिसमे से 10 बीघा भूमि तो रिकार्ड मे वादीगण के नाम से दर्ज हो गई। किन्तु 6 बीघा भू बन्दोबस्त अधिकारियो ने सिवाय चक गे0 मु0 चारागाह गोचर गलत रूप से दर्ज कर दी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं विधिक रूप से त्रुटिपुर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः अधिनस्थ न्यायालयों अपील प्राधिकारी नागौर द्वारा पारित निर्णय दिनाक 11-01-2008, अतिरिक्त कलेक्ट्रर डीडवाना द्वारा पारित निर्णय दिनाक 27-10-2007, एवं अतिरिक्त तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16-12-2006 निरस्त कर दिया गया। अर्थात माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 11-07-2017 से गत खसरा संख्या 616 के साबिक खसरा नम्बर 324/99 रकबा 0.23 हैक्टर गे0मु0 गौचर मे से 0.10 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 96 रकबा 3.36 हैक्टर गे0मु0 गौचर मे से 0.68 हैक्टर भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के पूर्वजो की होना स्वीकार किया है।

उपर्युक्त गत खसरा नम्बर 616 रकबा 348 बीघा 17 बिस्वा भूमि मे 16 बीघा भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज से पूर्वजो की पुश्तैनी कब्जाकाश्त भूमि रही है। अगर गत सेटलमेण्ट या वर्तमान सेटलमेण्ट मे इस भूमि को सार्वजनिक खारडा या चारागाह का अंकन किया गया है तो यह अवैधानिक अवैध अंकन किया गया है। वादीगण व प्रतिवादीगण को

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

अपनी पूर्वज से पूर्वजो की पुश्तैनी कब्जाकाश्त भूमि का अंकन सही करवाने का पूर्णतया अधिकार हैं।

संरपच ग्राम पंचायत प्रेमपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर ने दिनांक 05-12-2017 को ग्राम पंचायत प्रेमपुरा की ओर से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करके बताया की ग्राम देउसर पटवारी हल्का पांचवा मे खसरा नम्बर 96 रकबा 0.68 हैक्टर भूमि व खसरा नम्बर 324/99 रकबा 0.10 हैक्टर की भूमि काबिल काश्त है और मौके पर गोचर एवं आबादी मे नही है। अतः राजस्व रिकार्ड मे दुरस्त कर रेस्पो/वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 04 गोविन्दराम, टोडाराम, तुलछाराम, नेमाराम पुत्रान स्व0 पदमाराम, मोहरी देवी बेवा पदमाराम, के पुश्तैनी कब्जाकाश्त की उक्त भूमि अगर राजस्व रिकार्ड मे इनके नाम खातेदारी दर्ज की जाती है तो ग्राम पंचायत प्रेमपुरा को कोई आपत्ति नही है।

गवाहों ने अपने बयान व शपथ पत्रो मे ग्राम पांचवा के जागीर की उक्त भूमि मे जागीर के वक्त से ही 16 बीघा भूमि पेमाराम पिता बागाराम के कब्जाकाश्त की भूमि बताई है। पेमाराम के देहान्त होने के पश्चात उनके वारिशान उदाराम,पदमाराम पिता पेमाराम की कब्जाकाश्त की भूमि रही है। उदाराम,पदमाराम पिता पेमाराम के देहान्त के पश्चात उनके वारिशान वादीगण एवं प्रतिवादीगण की कब्जाकाश्त की उपजाउ भूमि रही है। उक्त भूमि कभी भी खारडा, चारागाह, गोचर या सार्वजनिक उपयोग की भूमि नही रही है। अगर इनके कब्जाकाश्त व पुश्तैनी 6 बीघा भूमि को भूप्रबंध कार्यवाही के दौरान सरकारी खाते मे गै0 मु0 गोचर दर्ज कर दिया है तो यह अवैधानिक अवैध कार्यवाही है जो गलत अंकन है। वापस उक्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज किया जावे।

सेटलमेंट विभाग को नवीन खसरा नम्बर 324/99 रकबा 0.23 हैक्टर, नवीन खसरा नम्बर 96 रकबा 0.68 हैक्टर गे0 मु0 गोचर, को राजस्व रिकार्ड व नक्शे मे दर्ज करने का कोई अधिकार नही था। सेटलमेंट विभाग पुराने इन्द्राजों को बदल नही सकता। सेटलमेंट के दौरान की गई गलती को सुधारने का अधिकार अधिनियम की धारा 136 के अन्तर्गत इन्द्राज दुरस्ती का प्रकरण होने के कारण उपखण्ड अधिकारी को है। अपने कथन के समर्थन मे राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने अन्य खण्ड पीठ के विनिश्चय उनवानी (राजस्थान राज्य बनाम थानसिंह (डी0 बी0 सिविल रिट पिटीशियन नं0 163/78 निर्णय दिनांक 05-05-1978) को उद्दीत करते हुये आर0 बी0 जे0 1996 (3) पेज 9 वाले विनिश्चय मे मत व्यक्त किया है। माननीय उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने 1995 डी0एन0जे0 राजस्थान पेज 540 वाले विनिश्चय मे भी इसी मत को उद्रीत करते हुंये पुनः व्यवस्था दी है की धारा 136 अधिनियम के अधीन एस0 डी0 ओ0 के पद के सहित भू लेखाधिकारी के पद की शक्ति होने के कारण सेटलमेंट की कार्यवाही मे उत्पन्न हुई त्रुटि को सुधारने की शक्ति निहित है।

मोहरी देवी बनाम भागूराम वगेरह मे रेस्पो वादीगण ने अपने कथनो के समर्थन मे आर0 आर0 डी0 जून-जुलाई 2003 पेज संख्या 298, 299, 300, 301Tarsingh & Ors. V/s Khetsingh & Ors से पूरी मदद मिलती है। एवं अपने कथन के समर्थन मे राजस्थान हाईकोर्ट (जयपुर बेंच) के निर्णय RRT 2014(1) पेज संख्या 364, 365, RRD Oct 2003 पेज संख्या 485, 486, 487, 488,RRD Jun 2002 पेज संख्या 336, 337,338,RRD July 2002 पेज संख्या 411,412, 413, 414,RRD May 2003 पेज संख्या 237, 238, 239, RRD Jan. 2002 पेज संख्या 26, 27, 28, 29, 30,RRD Sep. 2002 पेज संख्या 544, 545, 546, 547, RRD 1995 पेज संख्या 252, 253, 254, 628, 629,RRD 1994 पेज संख्या 208, 209 की समर्थन मे प्रतिलिपिया प्रस्तुत कर गई।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

वकील वादी की लिखित बहस एवं संलग्न दस्तावेजात व रूलिंग्स का अवलोकन एवं पत्रावली में संलग्न तनकी जो निम्नप्रकार है

1 आया ग्राम पांचवा तहसील नावा की सरहद मे गत खसरा नम्बर 616 कुल रकबा 348 बीघा 17 बिस्वा जागीर तत्कालीन जागीरदार पांचवा की जागीर मे से 16 बीघा भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 ता 4 के पूर्वज पेमाराम ने बतौर हासल काश्त पर लेकर वे आजीवन उक्त 16 बीघा भूमि पर बतौर कृषक काबिज रहे है। (जुम्मावादी)

2 आया उपर्युक्त खसरा नम्बर 616 मे 16 बीघा भूमि पर पेमाराम के स्वर्गवासोपरान्त उनके वारिस उदाराम,पदमाराम बतौर उत्तराधिकारी काबिज रहे उनका स्वर्गवासोपरान्त वादीगण व प्रतिवादीगण 1 ता 4 काबिज हैं। (जुम्मावादी)

3 आया उपर्युक्त गत खसरा नम्बर 616 की गिरदावरी रिकार्ड मे 16 बीघा भूमि पेमा पुत्र बागा के नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज रही है। (जुम्मावादी)

4 आया गत खसरा 616 के नवीन भू प्रबंध मे कायम हुए नवीन खसरानम्बर 99 रकबा 1.62 हैक्टर, खसरा नम्बर 324/99 रकबा 0.23 हैक्टर व खसरा नम्बर 96 रकबा 0.68 हैक्टर कुल 2.53 हैक्टर कायम हुए है। (जुम्मावादी)

5 आया स्व0 उदाराम व स्व0 पदामराम के वारिसान वादीगण प्रतिवादी न0 4 व प्रतिवादीगण 1 ता 3 के बीच पारिवारिक बंटवारा के स्वरूप खसर नम्बर 99 मे 0.81 हैक्टर उत्तरी तरफ व खसरा नम्बर 324/99 मे उत्तरी तरफ की 0.13 हैक्टर प्रतिवादीगण 1 ता 3 के कब्जा व बंट मे है तथा खसरा नम्बर 99 मे दक्षिणी तरफ 0.81 हैक्टर व खसरा नम्बर 324/99 मे दक्षिणी तरफ 0.10 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 96 मे उत्तरी तरफ की 0.68 हैक्टर कुल 1.59 हैक्टर भूमि पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 4 काबिज है। (जुम्मावादी)

6 आया वादीगण व प्रतिवादी संख्या 4 की खसरा नम्बर 99, 324/99, 96 मे 1.59 हैक्टर भूमि मौके पर एकचक जाव की शक्ल मे है जो अन्य कुए से सिंचित किए जा रहे है। (जुम्मावादी)

7 आया नवीन भू प्रबंध अधिकारियो द्वारा बिना किसी सक्षम अधिकारी न्यायालय के आदेश के नवीन खसरा नम्बर 96 की 0.68 हैक्टर भूमि व खसरा नम्बर 324/99 की 0.23 हैक्टर भूमि जो वादीगण व प्रतिवादीगण के काश्त मे होने के बावजूद गोचर अंकित किया गया है। (जुम्मावादी)

8 आया वादीगण व प्रतिवादी संख्या 4 खसरा नम्बर 99 व 324/99, 96 मे कुल 1.59 हैक्टर भूमि पर निरन्तर भू सूधार कर काबिज है एवं वादीगण व प्रतिवादी नं0 4 प्रत्येक 1/5 हिस्सा की खातेदारी पाने के हकदार है। (जुम्मावादी)

9 आया ग्राम पांचवा के नवीन ग्राम देउसर की सरहद मे स्थित खसरा नम्बर 99 का रकबा 1.62 हैक्टर के बजाय 2.30 हैक्टर व खसरा नम्बर 96 रकबा 3.36 हैक्टर बजाय 2.68 हैक्टर घोषित कराने के वादीगण हकदार है। (जुम्मावादी)

10 आया बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस वादीगण व प्रतिवादी नं0 4 खसरा नम्बर 99, 324/99, 96 के 1.59 हैक्टर का व खसरा नम्बर 99, 324/99 मे 0.94 हैक्टर का प्रतिवादीगण 1 ता 3 भू विभाजन कराकर Seperat Holding कायम कराने के हकदार है। (जुम्मावादी)

11 आया नवीन खसरा नम्बर 99, 324/99, 96 कुल 1.59 हैक्टर भूमि मे प्रतिवादीगण किसी भी प्रकार का दखल वादीगण व प्रतिवादी सं0 4 के कब्जा व अधिकारो मे नही डाले ऐसी निषेधाज्ञा पाने के वादीगण हकदार है। (जुम्मावादी)

12 आया ग्राम पांचवा के खसरा नम्बर 96 व 324/99 गैर मुमकिन गोचर है। वाद न्यायालय क्षेत्राधिकार नहीं होने से खारीज योग्य है (जुम्मा प्रतिवादी संख्या 05)

13 अन्य अनुतोष

तनकी के बिन्दु संख्या 1 ता 13 के अवलोकन से बिन्दु संख्या 1 ता 6 वादी के वाद पत्र एवं संलग्न दस्तावेजात खतौनियां, गिरदावरियां आदि से वादी के पक्ष में साबित है। तनकी बिन्दु संख्या 7 जो नवीन भू प्रबन्ध अधिकारी द्वारा नवीन खसरा नम्बर 96, 324/99 वादीगण के कास्त में होने के बावजूद गोचर अंकित किया गया है जो न्यायोचित नहीं है। बिना सक्षम

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

न्यायालय के आदेश बिना किया गया है इसलिये तनकी बिन्दु संख्या 7 वादीगण के पक्ष में प्रतित होती है। बिन्दु संख्या 8 से 11 संलग्न कागजात एवं लिखित बहस व रूलिंग्स की अवलोकन से वादीगण के पक्ष में होना प्रतित होती है। बिन्दु संख्या 12 के संबंध में तहसीलदार का जबाब का अवलोकन एवं संलग्न खतौनियां का मनन करने पर खसरा नम्बर 96, 324/99 जो गत खसरा नम्बर 616 से बने है। खसरा नम्बर 616 रकबा 348 बीघा 17 बीस्वा किस्म गैर मुमकिन खारडा एवं बारानी प्रथम एवं द्वितिय को भू प्रबन्धक अधिकारी द्वारा गैर मुमकिन गोचर किया गया है जो भू प्रबन्धक अधिकारी के क्षेत्राधिकार में नहीं होने से तनकी संख्या 12 प्रतिवादीगण संख्या 5 की बजाय वादीगण के पक्ष में होना प्रतित होती है। संलग्न दस्तावेजात, खतौनियां, गिरदावरीया, ईएक्सपी 1 ता 29, तहसीलदार का जबाब, गवाह वादी (मोहरी देवी, गोविन्दराम, टोडाराम) ,गवाह प्रतिवादी भागूराम, गवाह रामेश्वरलाल, मूलाराम, सोहनराम एवं गोरधनराम, तनकी, ग्राम पंचायत प्रेमपुरा का अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 05.12.2017 जो ईएक्सपी 24 है एवं इकबाली जबाब व माननीय राजस्व मण्डल अजमेर का निर्णय दिनांक 11.07.2017 एवं आरआरडी 2003 पेज संख्या 298, 299, 300, 301 व वादीगण का वाद पत्र का अवलोकन एवं वकील वादी द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस एवं संलग्न रूलिंग्स की फोटोप्रतियों का मनन करने पर न्यायालय का मत है कि खातेदारी भूमि से खसरा नम्बर 96 व खसरा नम्बर 324/99 गैर मुमकिन गोचर किया गया है जो सक्षम न्यायालय के द्वारा नहीं किया जाकर भू प्रबन्धक अधिकारी द्वारा किया गया है जो न्यायोचित प्रतित नहीं होने से वादीगण का वाद उक्त विवेचन से काबिल स्वीकार होने पर स्वीकार कर निम्न प्रकार आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

ग्राम देउसर (पांचवा) के खसरा नम्बर 324/99 रकबा 0.23 है0 में से दक्षिणी तरफ की 0.10 है0, खसरा नम्बर 96 रकबा 3.36 है0 में से उत्तरी तरफ की 0.68 है0 यानि 0.10 व 0.68 है0 गैर मुमकिन गौचर से किस्म बारानी प्रथम कायम की जाती है। खसरा नम्बर 324/99 रकबा 0.23 है0 में से 0.10 है0, खसरा नम्बर 96 रकबा 3.36 है0 में से 0.68 है0, खसरा नम्बर 99 रकबा 1.62 है0 में से दक्षिण तरफ की 0.81 है0 का वादी मोहरीदेवी पत्नी पदमाराम, गोविन्दराम, टोडाराम, नेमाराम पुत्र पदमाराम व प्रतिवादी तुलछाराम पुत्र पदमाराम जाति जाट को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। खसरा नम्बर 324/99 रकबा 0.23 है0 के बजाय रकबा 0.13 है0 एवं खसरा नम्बर 96 रकबा 3.36 है0 की बजाय 2.68 है0 कायम किया जाता है। शेष खाता यथावत रहेगा। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल किया जावें। राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनॉक 28/02/2018 को टंकण कराकर इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षरत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी (नागौर)

(रामसुख गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)